हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 20 मार्च, 2026

संख्या वि0स0—विधायन—विधेयक / 1—10 / 2026.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम—140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 2)** जो आज दिनांक **20 मार्च, 2026** को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / —
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

——————————

2026 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 6—क का अंतःस्थापन।

————

2026 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम.——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 2 का संशोधन.—— हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः—

"(तत) "अनाथ और विधवा उपकर" से, अधिनियम की धारा 6—क के अधीन उद्गृहीत उपकर अभिप्रेत है।"।

3. **धारा 6–क का अतःस्थापन.**—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''**6–क. अनाथ और विधवा उपकर.**—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा धारा 6 के अधीन उपकर के अतिरिक्त, राज्य में प्रथम विक्रय के बिंदु पर पैट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल पर प्रत्येक व्यापारी से अनाथ और विधवा उपकर, नाम से किन्तु जो पांच रुपये प्रति लीटर से अधिक नहीं होगा, सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किए जाने पर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) उपकर से संगृहीत रकम अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा की जाएगी।

(3) संगृहीत अनाथ और विधवा उपकर की रकम का उपयोग अनाथों और विधवाओं के कल्याण हेतु किया जाएगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकार समान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से सम्बन्धित अनाथों और विधवाओं को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता और कल्याण सहयोग प्रदान करती आ रही है। ऐसी कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुदृढीकरण हेतु समर्पित, स्थायी और गतिशील राजस्व स्रोत को सुनिश्चित करने के आशय से, राज्य में प्रथम विक्रय के बिन्दु पर पैट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर एक विनिर्दिष्ट उपकर उद्‌गृहीत करना अनिवार्य समझा गया है।

प्रस्तावित विधेयक, विद्यमान विधि के अधीन पहले से उद्‌ग्रहणीय कर के अतिरिक्त "अनाथ और विधवा उपकर" नाम से ज्ञात एक उपकर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण की पूर्ति करता है। यह उपकर अधिकतम पांच रुपए प्रति लीटर की सीमा के अध्यधीन प्रति लीटर ऐसी दर पर उद्‌ग्रहीत किया जाएगा जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्‌ग्रहण युक्तियुक्त रहे और उपभोक्ताओं पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।

अतः, प्रस्तावित विधेयक, अधिनियम के अधीन अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए संसाधनों को संचारित करने के उद्देश्यों के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः..2026

वित्तीय ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Insertion of section 6-A.

————

Bill No. 2 of 2026.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2026.

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause "p", the following clause shall be inserted, namely:—

"(pp) "Orphan and Widow Cess" means the cess levied under section 6-A of the Act.".

3. Insertion of section 6-A.— After section 6 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"6-A. Orphan and Widow Cess.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, and in addition to the tax levied under section 6, there shall be levied and collected from every dealer, a cess namely the Orphan and Widow Cess, as may be

determined by the Government by way of notification, but not exceeding rupees five per litre on Petrol and High Speed Diesel, at the point of first sale in the State.

(2) The amount of Cess collected shall be credited to the Orphan and Widow Welfare Fund.

(3) The amount of Orphan and Widow Cess collected shall be utilised for the welfare of orphans and widows.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government has been providing financial assistance and welfare support to orphans and widows belonging to economically weaker sections of society through various schemes. In order to ensure a dedicated, stable and sustainable source of revenue for the effective implementation and strengthening of such welfare measures, it has been considered necessary to levy a specific cess on Petrol and High Speed Diesel at the point of first sale in the State.

The proposed Bill seeks to provide for the levy and collection of a cess, to be called the "Orphan and Widow Cess", in addition to the tax already leviable under the existing law. The cess shall be levied at such rate per litre as may be notified by the Government, subject to a maximum ceiling of rupees five per litre, thereby ensuring that the levy remains reasonable and does not impose an undue burden on consumers.

The proposed Bill thus seeks to mobilise resources for the welfare of orphans and widows under the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
THE……………., 2026

FINANCIAL MEMORANDUM

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-